

प्रशान्त कुमार,  
आई0पी0एस0



डीजी परिपत्र सं0 - 18/2025

पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,  
लखनऊ-226002

दिनांक: मई 23, 2025

विषय: प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या: 40683/2024 कमलेश मिश्रा उर्फ कमलेश कुमार मिश्रा व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व 3 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश 08.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या: 40683/2024 कमलेश मिश्रा उर्फ कमलेश कुमार मिश्रा व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व 3 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 05.05.2025 को सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने मा0 न्यायालय को बताया कि प्रश्नगत प्रकरण के विवेचक द्वारा याची को फोन पर सम्पर्क कर प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के एवज में कुछ धनराशि की माँग की जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा विवेचक को शपथपत्र दाखिल करने एवं व्यक्तिगत रूप से मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने हेतु आदेशित किया गया।

2- दिनांक 08.05.2025 को प्रकरण के विवेचक ने व्यक्तिगत रूप से मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया तथा शपथपत्र भी दाखिल किया, जिस पर विचार करने के उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेश पारित किया गया है—

3. On the last date of hearing, the Investigating Officer was directed to file personal affidavit. The same has been filed, which is taken on record. In the affidavit, it has been averred that he has made a call on mobile no.8423590646 in order to submit a satisfactory reply in the instant case and he has never demanded money from the applicants and false allegation has been made by the applicants just to tarnish the image of police department.

4. The aforesaid stand taken in the personal affidavit does not explain the conduct of the I.O. Hence, the matter is referred to the Director General of Police, U.P. to conduct proper enquiry in the matter against the I.O.

5. Further, Director General of Police, U.P. shall issue a Circular informing every police officer in the State that they should not ever call up a party of the case and demand money from them for filing counter affidavits in the Court.


3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अपने अधीनस्थ समस्त पुलिसकर्मियों को निर्देशित करें कि कोई भी विवेचक/पुलिसकर्मी किसी भी अभियोग/याचिका के पक्षकार से अनौपचारिक रूप से दूरभाष पर

l

.....2

सम्पर्क नहीं करेगा। यदि विवेचनात्मक कार्यवाही या शासकीय दायित्वों के निर्वहन हेतु किसी पक्षकार से दूरभाष पर सम्पर्क करने की आवश्यकता हो तो इस तथ्य का उल्लेख विधिवत केसडायरी अथवा जी०डी० में करने के उपरान्त ही दूरभाष पर सम्पर्क किया जाये तथा वार्ता होने पर उसका उल्लेख भी केसडायरी / जी०डी० में किया जाये, जिससे बाद में किसी पक्षकार द्वारा इस प्रकार आरोप लगाने की स्थिति न उत्पन्न हो सके।

भवदीय,



(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।